संख्या–वे0आ0–2–397 दस–54(एम)/2008टी0सी0

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
विशेष सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक : 18 मार्च, 2011

विषयः– वेतन समिति (2008) के दसवें प्रतिवेदन (भाग–2) में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग के सम्बन्ध में की गयी विस्तृत संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है वेतन समिति द्वारा ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग के सम्बन्ध में दसवें प्रतिवेदन (भाग–2) में दी गयीं संस्तुतियों पर निम्न निर्णय लिये गये हैं :––

(1) ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग में अधीक्षण अभियन्ता के पद पर वेतनमान रू0 12000–16500 को उच्चीकृत कर वेतनमान रू0 14300–18300 के सादृश्य पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड–4 (37400–67000) तथा ग्रेड वेतन रू0 8700/– तात्कालिक प्रभाव से अनुमन्य किया जाय।

(2) ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग के सुदृढ़ीकरण हेतु नये कार्यालयों की स्थापना एवं नवीन पदों के सृजन हेतु कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में समिति गठित कर अध्ययन किया जाय। समिति की संस्तुतियों के अनुसार नये कार्यालयों की स्थापना एवं नवीन पदों के सृजन पर निर्णय लिया जाय।

(3) सामान्य श्रेणी के पदों यथा चतुर्थ श्रेणी, वाहन चालक, कनिष्ठ वर्ग के प्राविधिक पद, लिपिक श्रेणी आदि के सम्बन्ध में सामान्य कोटि के पदों/संवर्गों के सम्बन्ध में संस्तुतियॉ अलग से दी जा चुकी हैं। ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग के सामान्य श्रेणी के पदों के सम्बन्ध में भी तद्नुसार कार्यवाही की जाय।

(4) ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग के अन्य किसी पद/संवर्ग की वेतनमान विसंगति का मामला समिति के संज्ञान में नहीं है।

2— कृपया उपर्युक्त निर्णय के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अजय अग्रवाल)
विशेष सचिव।

संख्या—वे0आ0—2—397(1)/दस—54(एम)/2008टी0सी0, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

(1) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग—1
(2) कार्मिक नियमावली सेल, उत्तर प्रदेश सचिवालय।
(3) निदेशक, एन0आई0सी0, छठा तल, योजना भवन, लखनऊ को शासनादेश वित्त विभाग की वेब साइट पर डाले जाने हेतु।

आज्ञा से,

(नरेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।